विधानसभा/महत्वपूर्ण

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक–2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Telephone-0771-2511974, email-directorateoffood@gmail.com, website- www.khadya.cg.nic.in)

क्रमांक 65 /वि.स.–798/2025 अटल नगर, दिनांक 14/02/2025

प्रति,

1. **कलेक्टर,**
   जिला–बलौदाबाजार
   छत्तीसगढ़

2. **प्रबंध संचालक,**
   छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.,
   अटल नगर, नवा रायपुर

3. **प्रबंध संचालक,**
   अपेक्स बैंक,
   नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग.

विषयः– **विधानसभा प्रश्न क्रमांक 798 तारांकित द्वारा श्री इंद्र साव, सदस्य विधानसभा।**

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 798 तारांकित की प्रति संलग्न है। उपरोक्त विधानसभा प्रश्न के उत्तर यूनिकोड फॉन्ट में पूरक जानकारी सहित **दिनांक 17.02.2025** तक ई–मेल के माध्यम से भिजवाने का कष्ट करें। उत्तर के परिशिष्ट एक पेज से अधिक होने की स्थिति में सीडी अथवा ई–मेल **(dirfood.cg@nic.in/directorateoffood@gmail.com)** के माध्यम से परिशिष्ट की जानकारी यूनिकोड फॉन्ट में हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी सहित उपलब्ध कराने कराने का कष्ट करें। (विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड कर सकते है)

संलग्न–उपरोक्तानुसार

संयुक्त संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर
संचालनालय, रायपुर

पृ.क्रमांक–66 /वि.स.–798/2025 अटल नगर, दिनांक 14/02/2025

प्रतिलिपि :–

1. अवर सचिव, छ.ग. शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।
2. खाद्य अधिकारी, जिला–बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़। निर्धारित समय–सीमा में प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं होने पर संबंधित खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

संयुक्त संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर
संचालनालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **25/02/2025**

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **04/03/2025** विभाग का नाम : **खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण**

विषय : **जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में किसानों से धान खरीदी में अनियमितता की शिकायतों पर कार्यवाही**

(तारांकित प्रश्न क्रमांक : **798) श्रीइंद्र साव**

क्या **खाद्य मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में धान खरीदी हेतु कुल कितने पंजीकृत कृषक हैं पंजीकृत कृषकों में से कितने कृषकों का कितने रकबे का कुल कितना धान 14 नवंबर, 2024 से लेकर जनवरी, 2025 तक खरीदी किया गया है ? धान खरीदी के एवज में उक्त कृषकों को कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है ? विकासखंडवार एवं धान खरीदी केन्द्रवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश "क" अवधि में जिले के किन-किन धान खरीदी केन्द्रों में धान खरीदी में अनियमितता एवं बारदाना की कमी, अमानक बारदाना, सूखत के नाम पर ज्यादा मात्रा में धान तौलने एवं रकबा शून्य संबंधी शिकायत प्राप्त हुई ? प्राप्त शिकायत पर कितनी शिकायतों पर कार्यवाही की गई एवं कितने लंबित हैं ? (ग) क्या जिले के सभी पंजीकृत कृषकों से धान खरीदी तिथि 14 नवंबर, 2024 से लेकर नियत तिथि तक धान की खरीदी कर ली जायेगी एवं धान खरीदी के एवज में उक्त कृषकों को राशि का संपूर्ण भुगतान कर दिया जायेगा? (घ) क्या सरकार की घोषणा अनुसार प्रदेश के सभी पंजीकृत किसानों से 3100 रू. कि दर से धान की खरीदी एवं राशि का भुगतान किया गया है ? यदि नहीं तो अंतर की कितनी राशि का भुगतान किसानों को कब तक किया जायेगा। समय सीमा बताएं ?

Sent From : vidhan | **Sent Date :** 14/02/2025 11:05:15 |
Remark :

कले. बलौदाबाजार
मार्कफेड, अपेक्स बैंक